


11-5-18

पत्रावली CPC की धारा 89 के तहत लोक अदालत बंच
का प्रस्ताव नहीं की जाती है। पत्रावली दिनांक 29-6-18
का प्रस्ताव दिनांक 11-5-18 का प्रस्ताव लोक
अदालत बंच दिनांक 29-6-18 के
प्रस्ताव प्रस्तुत हो, तदनुसार सभी पक्षकारण मुक्ति हो।

सहायक कलेक्टर (SDO)  सिद्धा

11-5-18

पत्रावली द्वारा राजस्व लोक अदालत कैम्प इशरील
में पेश हुई। चूंकि मूल वाद में ही विद्रो किया
जा चुका है। अतः इस आवेदन को धारण करने
का कोई औचित्य नहीं रहा। अतः इस
आवेदन में धारण का कार्य नहीं इसी स्वरूप
समाप्त की जाती है। पत्रावली के तहत शुभार
थिकार कार्यालय दफतर हो। 

सहायक कलेक्टर
सिद्धा